



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

50/2
27/11

सं० 300]
No. 300]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 1989/ज्येष्ठ 19, 1911
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 1989/JYAISTHA 19, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है- जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त संचालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(टी पी एल शाखा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 1989

धाय-कर

सा.का.नि. 606 (अ):—केन्द्रीय सरकार, धाय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 10 के खण्ड (14) के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

1548GI/89

(1)

साथ के किसी पद या नियोजन के कर्तव्यों के पालन में सवारी पर उपगत व्यय की पूर्ति के लिए दिए गए किसी भत्ते को निर्धारण वर्ष 1989-90 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए उक्त उपखण्ड क प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 8386/फा.सं. 142/17/89-सी.पी.एल]
अरविन्द मोदी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

(TPL BRANCH)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 1989

INCOME-TAX

G.S.R. 606(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (14) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies any allowance granted to meet the expenditure incurred on conveyance in the performance of the duties of an office or employment of profit, for the purposes of the said sub-clause for the assessment year 1989-90 and the subsequent assessment years.

[No. 8386/F.No. 142/17/98-TPL]
ARBIND MODI, Under Secy.